

पत्रांक-7/स्था0-04-01/2014 सा0प्र0...../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम बिशुन राय,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,  
वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:- न्यायिक पदाधिकारियों को एलएल.एम. डिग्री के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या-9842 दिनांक 06.10.2009 की कंडिका-3 के आलोक में निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/पदस्थापन	बिहार न्यायिक सेवा में योगदान की तिथि	नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतनमान 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में प्राप्त वेतन वृद्धि की राशि	तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की राशि/वेतन वृद्धि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री श्याम किशोर झा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद।	06.02.1990	300	₹ 900 / 06.02.2000
2	श्रीमती भारती कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह- अपर मुंसिफ, गया।	27.08.2015	770	₹ 2310 / 01.07.2016
3	सुश्री जयश्री कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, कटिहार	26.10.2015	770	₹ 2310 / 01.07.2016

उपर्युक्त स्वीकृत राशि पूरे सेवाकाल में स्थिर रहेगी तथा इस राशि पर किसी प्रकार का कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-01/2014 सा0प्र0...../13368

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/  
संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों एवं आई०टी० मैनेजर, सामान्य  
प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।